न्यायालय जिला कलेक्टर,भरतपुर

अपील/40/2014

1—भिक्की
2—प्रकाश
3—निरोती } पिसरान वंशी जाति माली निवासीयान पुरिया पटटी तहसील वैर जिला भरतपुर
4—पप्पू उर्फ पुस्पेन्द्र
5—मु0 बुद्धो बेवा हरीसिंह पुत्र वंशी
6—मुकेश पुत्र हरीसिंह नवीरा वंशी
7—अमरसिह पुत्र सुक्का

.....अपीलान्ट

बनाम

1—धर्म सिंह । पिसरान मलुआ जाति माली निवासी पुरिया पट्टी तहसील वैर
2—रामप्रसाद । जिला भरतपुर

......असल रेस्पो0

3—मानसिंह पुत्र सुक्खा सी/ओ मानव विश्वास लालपुर नाडरुन मठ चकाहवाह जिला नडिया (कोलकाता) पश्चिम बंगाल
4—लक्ष्मी पुत्र सुक्खा ।
5—सौमोती पुत्री वंशी । जाति माली निवासी पुरिया पटटी तहसील वैर
6—शकुन्तला पुत्री वंशी (मृतक)। जिला भरतपुर
6/1—मुरारी उम्र 40 वर्ष ।
6/2— किशना उम्र 25 वर्ष ।
7—अशरफी । पुत्रीयान वंशी जाति माली निवासी पुरिया पटटी तहसील वैर जिला
8—विरमा । भरतपुर

......तरतीवी रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम खिलाफ हुक्म व आदेश दिनांक 14.7.1983 तहसीलदार एवं मैनेजिंग आफीसर वैर बाबत जारी किये जाने सनद।

उपस्थित :—
1—श्री महाराजसिंह, अभिभाषक अपीलान्ट,

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

दिनांक 28.6.2024

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश दिनांक 14–7–1983 तहसीलदार एवं मैनेजिंग आफीसर वैर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में आराजी खसरा नम्बर 1062/1 रकवा 10 विस्वा, 1062/2 रकवा 10 विस्वा, 1071/1 रकवा 4 विस्वा, 1071/2 रकवा 3 विस्वा, 1072/1 रकवा 10 विस्वा, 1072/2 रकवा 10 विस्वा, 1073/1 रकवा 8 विस्वा, 1073/2 रकवा 7 विस्वा, 1074 रकवा 1 विस्वा, कुल किता 9 कुल रकवा 3 बीघा 3 विस्वा ग्रांम पुरिया पट्टी तहसील वैर, पर कलुआ पुत्र भैरों जाति माली ग्रांम पुरिया पट्टी को तहसीलदार एवं मैनेजिंग आफीसर वैर ने टेम्परेरी पट्टा नं. निल दिनांक 14.7.1983 जारी किया गया था। जिसके खिलाफ यह अपील अपीलान्ट ने पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो की तलवी की गई। तहत न्यायालय से तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार वैर से रिपोर्ट तलब की गई। तरतीवी रेस्पो. संख्या 5,6,7 व 8 की ओर से एड. जोगेन्द्र सिंह का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। शेषे रेस्पो. बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये अतः योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 1058/1 रकवा 14 विस्वा, 1059 रकवा 3विस्वा, 1058/2 रकवा 13विस्वा, 1060/1 रकवा 7विस्वा, 1060/2 रकवा 8विस्वा, 1061/ रकवा 2विस्वा, 1062/1 रकवा 7विस्वा, 1062/2 रकवा 7 विस्वा, किता 8 रकवा 3 बीघा 1 विस्वा व खसरा नम्बरा 1060/1 मिन रकवा 16 विस्वा, 1060/2 रकवा 16 विस्वा, 1062/1 मिन रकवा 5 विस्वा, 1062/2 मिन रकवा 5 विस्वा, 1062/1 रकवा 10 विस्वा, 1063/2 रकवा 10 विस्वा, किता 6 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा एवं खसरा नम्बर 1062/1 रकवा 10 विस्वा, 1062/2 रकवा 10 विस्वा, 1071/1 रकवा 4 विस्वा, 1071/2 रकवा 3 विस्वा, 1072/1 रकवा 10 विस्वा, 1072/2 रकवा 10 विस्वा, 1073/1 रकवा 8 विस्वा, 1074 रकवा 1 विस्वा, 1073/2 रकवा 7 विस्वा कुल किता 9 कुल रकवा 3 बीघा 3 विस्वा ग्रांम पुरिया पट्टी तहसील वैर, में स्थित है। इस आराजीयात पर अपीलांटान व रेस्पो. असल तथा रस्पो तरतीवी के पीडिसीजर वंशी, सुक्खा व कलुआ को संयुक्त रुप से वहिस्सा बराबर गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड किया हुआ है।

.........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि संयुक्त कब्जे काश्त एवं गैर खातेदारी में अंकित उक्त सम्पूर्ण आराजी पर केवल कलुआ पुत्र भैरों को पृथक से सनद जारी करना कतई विधि एवं न्यास संगत नहीं है।

विवादित आराजी उपरोक्त वंशी, सुक्खा व कलुआ से अपीलार्थी व उत्तरवादीगण ने इसी अनुपात में यानी 1/3, 1/3 हिस्से के उत्तराधिकार में प्राप्त की है, इसी प्रकार अपीलार्थी व उत्तरवादीगण सभी आराजी मुतनाजा में सयुंक्त रुप से काबिज है। उक्त आराजी का अभी कोई विभाजन नहीं हुआ है।

योग्य अभिभाषक का यह कथन है कि तहत न्यायालय ने संयुक्त आराजी खसरा नम्बर 1062/1 रकवा 10 विस्वा, 1062/2 रकवा 10 विस्वा, 1071/1 रकवा 4 विस्वा, 1071/2 रकवा 3 विस्वा, 1072/1 रकवा 10 विस्वा, 1072/2 रकवा 10 विस्वा, 1073/1 रकवा 8 बिस्वा, 1074 रकवा 1 विस्वा, 1073/2 रकवा 7 विस्वा कुल किता 9 कुल रकवा 3 बीघा 3 विस्वा के सम्पूर्ण रकवे पर स्व. कलुआ के नाम गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुये अपीलाधीन सनद जारी की गई है वह नियमों के विपरीत है। उनका कहना है कि यदि गैर खातेदार के इन्द्राज से खातेदार अधिकार देने ही थे तो विवादित आराजी एवं अन्य सह गैरखातेदारी की आराजी पर तीनों पूर्वजों वंशी , सुक्खा, कलुआ के 1/3, 1/3 हिस्सा के अनुसार समस्त आराजी पर सनद जारी करनी चाहिये थी । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस वगे. जारी नहीं किये गये हैं। अपील के देरी में अवधि का प्रश्न है तो ऐसे मामलों में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांतों में माना है कि अगर अपील गुणावगुणों पर प्रभावशाली होती है तो अवधि के बिन्दु को दर किनार किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपील गुणावगुणों पर अच्छी है। इसलिये लिमिटेशन का कोई अवरोध नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11.7.2014 को नकल सनद लेने पर हुई है, इस प्रकार जानकारी के दिन से यह अपील अंदर म्याद पेश की गई है। योग्य अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में आर.आर.डी. 1984 पेज 42, आर.आर.डी. 1986 पेज 28 व 226, आर.आर.डी. 1998 पेज 319 हाई कोर्ट, एवं आरएल डब्ल्यू 2013 उद्यरत किये गये। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अन्त में अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार एवं मैनेजिंग आफीसर वैर द्वारा जारी टेम्पोरेरी पट्टा नं. निल दिनांक 14.7.1983 को अवलोकन किया गया।

.........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

इस प्रकार उक्त नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। यह टैम्पोरेरी पट्टा आराजी खसरा नम्वर 1062/1 रकवा 10 विस्वा, 1062/2 रकवा 10 विस्वा, 1071/1 रकवा 4 विस्वा, 1071/2 रकवा 3 विस्वा, 1072/1 रकवा 10 विस्वा, 1072/2 रकवा 10 विस्वा, 1073/1 रकवा 8 विस्वा, 1074 रकवा 1 विस्वा, 1073/2 रकवा 7 विस्वा कुल किता 9 कुल रकवा 3 बीघा 3 विस्वा ग्रांम पुरिया पट्टी तहसील वैर, पर स्व. कलुआ पुत्र भैरों जाति माली ग्रांम पुरिया पट्टी के हक में जारी किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध नकल जमावन्दी सम्वत् 2026–29 ग्रांम पुरिया पट्टी तहसील वैर का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबन्दी के कालॅम नम्वर 2 में खाता संख्या 149 में अंकित अन्य आराजी खसरा नम्वरान के साथ आराजी खसरा नम्वर 1062/1 रकवा 10 विस्वा, 1062/2 रकवा 10 विस्वा, 1071/1 रकवा 4 विस्वा, 1071/2 रकवा 3 विस्वा, 1072/1 रकवा 10 विस्वा, 1072/2 रकवा 10 विस्वा, 1073/1 रकवा 8 विस्वा, 1074 रकवा 1 विस्वा, 1073/2 रकवा 7 विस्वा कुल किता 9 कुल रकवा 3 बीघा 3 विस्वा पर कॉलम संख्या 5 में इस प्रकार इन्द्राज दर्ज है :–

"बंसी वगैरहा खाता संख्या 149 व काश्त कलुआ मजकूर"

इसी प्रकार खाता संख्या 149 में अन्य आराजीयात में बंशी बल्द गिर्राज व सुक्खा वल्द खैराती व कलुआ बल्द भैरों व हिस्सा बराबर माली सा. कस्वा वैर गैर खातेदार साल 32 दर्ज हैं। तहसीलदार (भूअभि)वैर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, भूअभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अन्त में अंकित किया है कि :–

> "........मौके पर उपस्थिति व्यक्तियों ने अवगत कराया कि उक्त आराजी 9 बीघा 06 विस्वा पर पूर्व से ही आपसी मनवट के अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त आराजी में हिस्से अनुसार वट किये हुये हैं........... ।"

उक्त विवेचन से यह जाहिर आया कि तहत न्यायालय ने जिन खसरा नम्बरान की अपीलाधीन सनद् केवल कलुआ बल्द भैरों के हक में जारी की गई है मुताविक जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 के इन खसरा नम्बरान में कलुआ बल्द भैरों के साथ बंशी बल्द गिर्राज व सुक्खा वल्द खैराती गैर खातेदार दर्ज थे, तहसीलदार द्वारा केवल स्व0 कलुआ के हक में जो सनद जारी की गई है, जब कि कलुआ के साथ सहखातेदार बंसी वगैरहा को छोड़ दिया गया है जो राजस्व

........6

जिला कलक्टर
भरतपुर

इस प्रकार उक्त नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। यह टैम्पोरेरी पट्टा आराजी खसरा नम्बर 1062/1 रकवा 10 विस्वा, 1062/2 रकवा 10 विस्वा, 1071/1 रकवा 4 विस्वा, 1071/2 रकवा 3 विस्वा, 1072/1 रकवा 10 विस्वा, 1072/2 रकवा 10 विस्वा, 1073/1 रकवा 8 विस्वा, 1074 रकवा 1 विस्वा, 1073/2 रकवा 7 विस्वा कुल किता 9 कुल रकवा 3 बीघा 3 विस्वा ग्रांम पुरिया पट्टी तहसील वैर, पर स्व. कलुआ पुत्र भैरों जाति माली ग्रांम पुरिया पट्टी के हक में जारी किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 ग्रांम पुरिया पट्टी तहसील वैर का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबन्दी के कालॅम नम्बर 2 में खाता संख्या 149 में अंकित अन्य आराजी खसरा नम्बरान के साथ आराजी खसरा नम्बर 1062/1 रकवा 10 विस्वा, 1062/2 रकवा 10 विस्वा, 1071/1 रकवा 4 विस्वा, 1071/2 रकवा 3 विस्वा, 1072/1 रकवा 10 विस्वा, 1072/2 रकवा 10 विस्वा, 1073/1 रकवा 8 विस्वा, 1074 रकवा 1 विस्वा, 1073/2 रकवा 7 विस्वा कुल किता 9 कुल रकवा 3 बीघा 3 विस्वा पर कॉलम संख्या **5** में इस प्रकार इन्द्राज दर्ज है :–

"बंसी वगैरहा खाता संख्या 149 व काश्त कलुआ मजकूर"

इसी प्रकार खाता संख्या 149 में अन्य आराजीयात में बंशी बल्द गिर्राज व सुक्खा वल्द खैराती व कलुआ बल्द भैरों व हिस्सा बराबर माली सा. कस्वा वैर गैर खातेदार साल 32 दर्ज हैं। तहसीलदार (भूअभि)वैर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, भूअभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अन्त में अंकित किया है कि :–

> "........मौके पर उपस्थिति व्यक्तियों ने अवगत कराया कि उक्त आराजी 9 बीघा 06 विस्वा पर पूर्व से ही आपसी मनवट के अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त आराजी में हिस्से अनुसार वट किये हुये हैं.......... ।"

उक्त विवेचन से यह जाहिर आया कि तहत न्यायालय ने जिन खसरा नम्बरान की अपीलाधीन सनद् केवल कलुआ बल्द भैरों के हक में जारी की गई है मुताविक जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 के इन खसरा नम्बरान में कलुआ बल्द भैरों के साथ बंशी बल्द गिर्राज व सुक्खा वल्द खैराती गैर खातेदार दर्ज थे, तहसीलदार द्वारा केवल स्व0 कलुआ के हक में जो सनद जारी की गई है, जब कि कलुआ के साथ सहखातेदार बंसी वगैरहा को छोड़ दिया गया है जो राजस्व

........6

जिला कलक्टर
भरतपुर

रिकार्ड में नियमों के विपरीत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश सनद दिनांक 14.7.1983 तहसीलदार एवं मैनेजिंग आफीसर वैर समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार वैर को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं कि वे विवादित आराजी के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान को सुनवाई कर साक्ष्य सबूत वगे. लेकर पुनः निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.7.1983 बाबत टेम्पोरेरी पट्टा नं. निल निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार वैर को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करें।

निणर्य आज दिनांक 28.6.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

र एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.)